

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

मानव संसाधन विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

क्रमांक: २१२/स्था./प्रशा./2002

बिलासपुर, दिनांक: २४-०९-२००२

आदेश

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 21.09.2002 में पद क्रमांक - 3 के निर्णयानुसार स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित श्रीमती एस.एल.टी.फार्मसी विज्ञान संस्थान के अनुसूचित जनजाति के व्याख्याता पद पर, चयन हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा स्वीकार करते हुए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित व्याख्याता के पद पर गुणानुक्रम में क्रमांक - 01 पर चयनित कु. निली रोज एक्का (अ.ज.जा.) को व्याख्याता के पद पर वेतनमान रु. 8000-275-13500/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रथमतः दो वर्ष की परिचीक्षावधि पर नियुक्त किया जाता है।

इनका वेतन मूलभूत नियमों के अंतर्गत निर्धारित किया जावेगा।

इन्हें उक्त वेतनमान में समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत भत्ते देय होंगे।

इस मद में होने वाला व्यय स्व-वित्तीय योजना के अंतर्गत संचालित श्रीमती एस.एल.टी.फार्मसी विज्ञान संस्थान के बजट से विकलनीय होगा।

इनकी सेवा शर्तें अध्यादेश क्रमांक - 4 एवं परिनियम 31 के अंतर्गत संचालित होगी।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार

(डॉ. एस. करुणा राजू)
आई.ए.एस
कुलसचिव

बिलासपुर, दिनांक: २४-०९-२००२

पृ.क्र.: २१२/स्था./प्रशा./2002

प्रतिलिपि :-

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख सचिव, उ.शि.विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपतिजी/कुलसचिव के अवलोकनार्थ/अलिखित हेतु।
6. विभागाध्यक्ष, श्रीमती एस.एल.टी.फार्मसी विज्ञान संस्थान की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. कु. निली रोज एक्का, ग्राम- बादूपारा, पो.आ.-भुसगुररी, जशपुर (छ.ग.) - को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही मुख्य चिकित्सक या समकक्ष शासकीय चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र, आ. संबंधी मूल प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता/पात्रता प्रमाण पत्र, यदि सेवा में हो तो नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी कार्यालय में जमा करना आवश्यक होगा।
8. वित्ताधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर।
9. निजी नस्ती।

कुलसचिव